

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक 8/1575/चार-12-14/10/पेंशन

जबलपुर, दिनांक 12/03/2020

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (समस्त)  
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय (समस्त)  
मध्यप्रदेश ।

विषय :- उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के पेंशन प्रकरण नवीन IFMIS Software में निराकरण के लिये Hierarchy बनाने बावत् ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासन के निर्देशानुसार पेंशन प्रकरण IFMIS Software के माध्यम से किये जाने है । अतः उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण बावत् आपके कार्यालय द्वारा निम्नानुसार Hierarchy बनाया जाना है एवं उसे उच्च न्यायालय की Parental Hierarchy for Superannuation से Map किया जाना है :-

### HIERARCHY FOR EMPLOYEE PENSION FORM DETAIL

DISTRICT JUDGE/PRINCIPAL JUDGE FAMILY COURY/ADDITIONAL DISTRICT JUDGE/ADDITIONAL JUDGE  
FAMILY COURY  
(Higher Judicial Cadre)

CREATER	VERIFIER	APPROVER
SELF	SUPERINTENDENT OF DISTRICT COURT/DEPUTY SUPERINTENDENT	DISTRICT JUDGE/PRINCIPAL JUDGE FAMILY COURT

### HIERARCHY FOR SUPERANNUATION At D.D.O. Level Logical Hierarchy Type—Normal—H.O.O.

CREATER	VERIFIER	APPROVER
ACCOUNTANT	SUPERINTENDENT OF DISTRICT COURT	DISTRICT JUDGE/PRINCIPAL JUDGE FAMILY COURT/D.D.O.

Map With

### PARENTAL HIERARCHY FOR SUPERANNUATION AT THE LEVEL OF HIGH COURT (H.O.A.D.)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आपके स्तर पर दर्शित Hierarchy शीघ्र बनाकर उसे उच्च न्यायालय की Parental Hierarchy for Superannuation से Map करने का कष्ट करें तथा सेवानिवृत्त हो चुके एवं भविष्य में सेवानिवृत्त हो रहे न्यायिक अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण IFMIS Software के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें ।

(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

//2//

पृष्ठांकन क्रमांक B /1576/चार-12-14/10/पेंशन

जबलपुर, दिनांक 12/03/2020


प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर,
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ✓ चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल,
6. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, 26 किसान भवन, भोपाल
7. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, (समस्त) मध्यप्रदेश,
8. संभागीय जिला पेंशन अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी, (समस्त) मध्यप्रदेश,
9. कोषालय अधिकारी (समस्त) मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

नोट :-

उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

  
(अजय पवार) 12.3.2020  
रजिस्ट्रार (एम.)  
H